

एनसीईआरटी की अनुसंधान एसोसिएटशिप (शिक्षाविद्/शोधकर्ता पूल) की विस्तृत योजना

एनसीईआरटी ने उपर्युक्त योजना युवा शिक्षाविद्/शैक्षिक अनुसंधानकर्ता जिन्होंने विद्यालय शिक्षा से जुड़े विषयों पर पीएच.डी की है परन्तु उन्हें अभी तक नियमित रोजगार नहीं मिला है, के अनुभवों का उपयोग करने के लिए प्रारंभ की है। यह योजना इन युवाओं को विद्यालय शिक्षा से जुड़े उनके संगत क्षेत्रों में योगदान करने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। इन युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और ज्ञान के माध्यम से विशेषकर एनसीईआरटी और व्यापक रूप में भारत में शिक्षा व्यवस्था को लाभ होगा। यह योजना सीएसआईआर की वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएटशिप (वैज्ञानिक पूल योजना) से प्रेरित है।

प्रस्ताव के अनुबंध एवं शर्तें

1. पात्रता

1. एसोसिएटशिप केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।
2. अभ्यर्थी आवेदन तिथि को विद्यालयी शिक्षा से संबंधित किसी भी विषय अथवा सम्बद्ध क्षेत्र (अर्थात शोध विद्यालयी शिक्षा के निरिनार्थ किया गया हो) में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. प्राप्त होना चाहिए।
3. एनसीईआरटी में आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक न हो (छूट भारत सरकार के नियमानुसार)।
4. एसोसिएटशिप प्राप्ति की तिथि को अभ्यर्थी की कहीं और नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।

2. प्रस्ताव स्वीकृति की शर्तें

- (i) प्रस्ताव की अनुबंध एवं शर्तें चयनित अभ्यर्थियों पर बाध्य होंगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रस्ताव पत्र जारी करने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में औपचारिक स्वीकृति भेजना अनिवार्य है। इसके साथ व्यक्ति का बेरोजगारी प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें।
- (ii) कार्य ग्रहण के समय स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. प्रस्ताव की वैधता

स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त प्रस्ताव तीन माह की अवधि के लिए वैध रहेगा।

4. अवधि

- (i) एसोसिएटशिप की अवधि एक वर्ष और अधिकतम दो वर्ष है,
- (ii) संबद्ध अध्यक्ष/पीआई की सिफारिश पर निदेशक के विवेकानुसार इसे आगे और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- (iii) एसोसिएट को रोजगार प्राप्ति के साथ ही एसोसिएटशिप समाप्त हो जाएगी।

5. परिलब्धियाँ

- (i) चयनित उम्मीदवारों को इस योजना के तहत प्रतिमाह ₹ 35,000/- का भुगतान किया जाएगा।
- (ii) शोध के लिए द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित किराए तक की लागत मान्य होगी।
- (iii) यात्रा के दौरान आवास, एनसीईआरटी के नियमों के अनुसार होगा।

6. स्थानन और स्थानान्तरण

- (i) चयनित अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी की संघटक इकाइयों में, इकाई के कार्यक्षेत्र और आवश्यकतानुसार किसी एक में तैनात किया जाएगा और वह संबंधित इकाई के अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
- (ii) एसोसिएट का प्राथमिक कार्य स्थानन के चिन्हित क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान/शिक्षण/व्यावसायिक कार्य का संचालन करना होगा।
- (iii) एसोसिएट को एसोसिएटशिप के दौरान सुपुर्द कार्य के लिए पूर्ण समय समर्पित करना होगा।
- (iv) एसोसिएट का स्थानान्तरण एनसीईआरटी की किसी भी संघटक इकाई में किया जा सकता है।

7. अवकाश

- (i) प्रतिमाह 2.5 दिन के अवकाश की अनुमति होगी।
- (ii) एसोसिएट को नियमित पदों के लिए साक्षात्कार हेतु जाने के लिए उसे देय छुट्टियों में से छुट्टी लेनी होगी।
- (iii) एसोसिएट को एक साथ 05 दिन से अधिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी।

- (iv) मातृत्व अवकाश बिना वेतन मान्य होगा। यदि एसोसिएट इस अवकाश का लाभ लेने के पश्चात् एसोसिएटशिप जारी रखना चाहती हैं तो अवकाश की अवधि के समान अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति होगी।

8. अवधि की समाप्ति

एसोसिएट की अवधि समाप्त हो जाएगी जब ;

- i. रोजगार प्राप्त करने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से पदधारी त्यागपत्र देता है;
- ii. उनकी सेवा आचरण नियम के अंतर्गत अनुशासनहीनता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण समाप्त की जा सकती है ;
- iii. संस्वीकृत अवधि समाप्त हो जाती है।

9. एसोसिएट के रूप में चयन अथवा कार्य करने का आशय एनसीईआरटी अथवा इसकी किसी संघटक इकाई में उत्तरवर्ती आमेलन का आश्वासन अथवा गारन्टी नहीं है।
10. एनसीईआरटी की अनुसंधान एसोसिएटशिप (शिक्षाविद्/अनुसंधानकर्ता पूल योजना) अस्थायी है और एनसीईआरटी, अथवा केन्द्र सरकार, अथवा राज्य सरकार, अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पेंशन अथवा किसी अन्य सेवा लाभ हेतु मान्य नहीं है।
11. सभी आवेदन निम्नवत् निर्धारित प्रपत्र में स्व-सत्यापित आवेदन के साथ ही शोध प्रस्ताव, जो एसोसिएटशिप के दौरान करना है, का संक्षिप्त सारांश (1500 शब्दों से अधिक नहीं) भेजा जाना चाहिए। इसके साथ-साथ विद्यालय शिक्षा से संबंधित एक कंसप्ट पेपर भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
12. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. आवेदन एनसीईआरटी वेबसाइट (www.ncert.nic.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में भरे जाने चाहिए। केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि अखबार में विज्ञापन की तिथि से 30 दिनों तक।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
शैक्षिक अनुसंधान प्रभाग

अपनी अद्यतन
पासपोर्ट आकार
की फोटो लगाएं

अनुसंधान एसोसिएटशिप (शिक्षाविद्/शोधकर्ता पूल) योजना हेतु आवेदन

1. नाम : श्री/श्रीमती/कुमारी :
2. नागरिकता :
3. जन्म तिथि :
(कृपया प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
4. यदि अनु.जा/अनु.ज.जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ :
शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग से संबंध
रखते हैं तो निर्दिष्ट करें
5. पत्राचार हेतु पता :
.....
.....
- टेलीफोन नम्बर :
- ई मेल :
6. स्थायी पता :
.....

7. माता/पिता का नाम :

8. यदि कहीं कार्यरत हों तो, निम्नलिखित विवरण दें :-

नियोक्ता का नाम एवं पता :

नियुक्ति की तारीख :

पदनाम :

नियुक्ति की प्रकृति (स्थायी/अस्थायी/तदर्थ/संविदाआधार पर/ कोई अन्य)

कार्य की प्रकृति :

(कृपया वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. शैक्षिक योग्यताएं

उत्तीर्ण की गई परीक्षाएँ	बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	डिवीज़न/ग्रेड	अंको का प्रतिशत

(संलग्न सर्टिफिकेट)

10. पीएच.डी. का विषय :
11. एम.फिल का विषय :
-
12. कोई अन्य अर्हताएँ :
13. अनुभव * (शोध/शिक्षण/परामर्शकार्य/विस्तारण)

अनुभव की प्रकृति	संस्थान (पूर्ण पता सहित)	किस क्षमता में कार्य किया	अवधि

*प्रत्येक उल्लिखित अनुभव के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए एक पृथक शीट संलग्न करें।

14. कोई अन्य संबद्ध सूचना जिसका आवेदन में उल्लेख न हुआ हो :
15. प्रकाशन/प्रस्तुतिकरण :
16. विद्यालयी शिक्षा/तैयार करने में शोध अभिरूचि :
17. यदि एनसीईआरटी में कार्य करने का अवसर दिया जाए तो आप किस क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे? कृपया संक्षिप्त सार संलग्न करें।

18. कृपया दो विशेषज्ञ जो आपको जानते हैं, का संदर्भ दें।

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

टिप्पणी : कृपया आवेदन-पत्र के साथ सभी अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों की स्वसाक्ष्यांकित प्रतियाँ, प्रकाशन के प्रूफ एवं 1500 शब्दों में प्रस्तावित शोध का सार संलग्न करें।